

निगं 5720/2018/रीवा/भू-रा०

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)

प्रकरण क./.....



भगवानदास शुक्ला पिता स्व. राजनारायण शुक्ला निवासी त्योंथर, जिला रीवा
(म०प्र०)
.....आवेदक/निगराकार

बनाम

.....अनावेदक/गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अपर
आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के
द्वारा प्रकरण क/1742/अपील/17-18
में पारित आदेश दिनांक 18/07/2018
निगरानी अंतर्गत धारा 50
म०प्र०भू०रा० संहिता

मध्य प्रदेश शासन

अधि० श्री जितेंद्र प्रवर्ती
द्वारा प्रेषित 19.9.18

कलकत्ता आफ काट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य-

निगरानीशुदा आदेश का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए
निगराकार विनम्र निवेदन करता है कि मातहत अदालत तहसीलदार के
अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा निगराकार के विरुद्ध इस आशय का प्रतिवेदन
प्रस्तुत किया गया कि मौजा त्योंथर की भूमि खसरा नं. 339 के अंश
भाग 0.012 हे. पर मकान बना कर निगराकार का कब्जा है। चूंकि
भूमि नं. 339 मध्य प्रदेश शासन की भूमि है अतः उस पर निगराकार
का कब्जा अतिक्रमण होने से निगराकार को बेदखल किया जाय, प्रतिवेदन
के अनुरूप निगराकार को नोटिस जारी की गई निगराकार अपने
अधिवक्ता सहित मातहत अदालत के समक्ष उपस्थित होकर नोटिस का
लिखित उत्तर प्रस्तुत करते हुए विनम्रता पूर्वक लेख किया कि जिस भूमि
पर निगराकार एवं उसके परिवारजन का मकान बना हुआ है वह आवादी
का रूप धारण कर चुकी है तथा निगराकार के पिता स्व. राजनारायण

Jitendra Prasthi
Adi.

19/9/18

2019/5/18/18

(4)
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

क्रमांक निग0-5720/2018/रीवा/भू-रा0

जिला-रीवा

भगवानदास शुक्ला / म0प्र0 शासन

(1)	(2)	(3)
18.12.18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री जितेन्द्र अवस्थी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 1742/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 18.07.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 19.09.18 प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात प्रकरण दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	